

सं. 23012/01/2015-अ.भा.से.।।।

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 28 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

श्रीमती रंजना, आईएएस (यूके:2010) को अपना नाम "श्रीमती रंजना" से बदल कर "श्रीमती रंजना राजगुरु" करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, वे सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए "श्रीमती रंजना राजगुरु" के रूप में जानी जाएंगी।



(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23094714

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद, (हरियाणा).